न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, दौसा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
21.10.2024	नामान्तरकरण अपील संख्या 43/2018 अपील संख्या 138/2018 मोती(फौत) हरबाई पत्नि मोती व अन्य बनाम रामनिवास व अन्य अधिवक्ता अपीलान्ट्स उपस्थित। अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 18 लगायत 29 उपस्थित। माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में विचाराधीन निगरानी/एल.आर./6245/2019/दौसा अमरसिंह वगैरा बनाम मोती वगैरा एवं निगरानी/एल.आर./6246/2019/दौसा अमरसिंह वगैरा बनाम मोती वगैरा में पारित आदेश दिनांक 16.06.2022 के द्वारा दोनो प्रकरण इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किये गये है कि सर्वप्रथम प्रार्थीगण अमरसिंह वगैरा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम के बिन्दु को तय करने के बाद ही प्रकरण की मेरिट पर सुनवाई की जावे। उक्त निर्देशों की पालना में प्रार्थना पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम पर अधिवक्ता अपीलान्ट्स एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 18 लगायत 29 की बहस दिनांक 15.10.2024 को सुनी गई। अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 17 को आवाज लगवाई गई किन्तु उपस्थित नहीं हुये। अधिवक्ता अपीलान्ट्स द्वारा प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया गया कि न्यायालय सहायक भू–प्रबन्ध अधिकारी बसवा मुख्यालय अलवर के निर्णय दिनांक 29.10.1993 या 25.10.1993 व नामान्तरकरण संख्या 188 ग्राम मुकरपुरा तस्दीक दिनांक 16.07.1994 की अपीलान्ट को कतई जानकारी नहीं थी, क्योंकि उक्त निर्णय अपीलान्ट को सुनवाई व सबूत का अवसर दिये बिना व अपीलान्ट को नोटिस दिये बिना ही पारित किया गया है। सर्वप्रथम दिनांक 12.12.2018 को अपीलान्ट भूमि खसरा नम्बर 455, 456 ग्राम मुकरपुरा में से अपने हिस्से की भूमि पर काबिज था। रेस्पोडेन्ट रामसिंह, हरदयाल, रामेश्वर, अमरसिंह, गिर्राज ने आकर अपीलान्ट को धमकी दी कि तुम्हारे कब्जे की भूमि रिकॉर्ड में हमारे नाम है तब अपीलान्ट ने पटवारी हल्का से जानकारी की तो जानकारी में आया कि उक्त भूमि खसरा नम्बर 455, 456 के नये नम्बर खसरा नम्बर 866/455, 868/456 बनाकर और रेस्पोडेन्ट संख्या 18 लगायत 29 के नाम खातेदारी वर्तमान में अंकित कर रखा है। तब अपीलान्ट द्वारा पटवारी से जानकारी कर दिनांक 13.12.2018 को कलेक्ट्रेट दौसा के रिकॉर्ड रूम में जानकारी कर उक्त भूमि के रिकॉर्ड को देखा तो जानकारी में आया कि सहायक भू–प्रबन्ध अधिकारी ने दिनांक 29.10.1993 या 25.10.1993 को प्रार्थना पत्रों पर निर्णय करके उक्त निर्णय के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 188 ग्राम मुकरपुरा दिनांक 16.07.1994 को तस्दीक करके भूमि खसरा नम्बर 455, 456 की खातेदारी का इन्द्राज सेडूराम, रामसिंह, हरदयाल, रामेश्वर, अमरसिंह, तीजो, गिर्राज वगैरा के नाम किया है। उनमें से कुछ लोगों [illegible] हो जाने के कारण वर्तमान में उनके ही वारिसान के [illegible] अपीलान्ट ने उक्त समस्त कागजात व निर्णय एवं नामान्तरकरण [illegible] 188 ग्राम मुकरपुरा की नकल	

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official
Signature Not Verified
Digitally signed by Sumitra Pareek
Date: 2025.01.22 18:09:23 IST
Reason: SelfAttested

हेतु दिनांक 13.12.2018 को आवेदन पत्र पेश करवाया जिस पर नकल तैयार होकर दिनांक 14.12.2018 को मिली। इससे पूर्व अपीलान्ट को उक्त निर्णय व नामान्तरकरण की कतई जानकारी नहीं थी। उपरोक्त कारणवश अपील पेश करने में देरी हुई है जिसे अन्दर मियाद शुमार किये जाने का अनुरोध किया गया।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 18 लगायत 29 द्वारा लिखित बहस में अंकित तथ्यो को दोहराते हुये निवेदन किया गया कि अपीलान्ट द्वारा दिनांक 21.12.2018 को दो अपील रेस्पोडेन्ट्स के विरूद्ध मय दफा 5 मियाद अधिनियम पेश की गई है। अपीलान्ट्स ने अपील मीमो में कथन किया है कि प्रश्नगत आज्ञाओं की जानकारी मुझे दिनांक 12.12.2018 को रेस्पोडेन्ट संख्या 18 लगायत 29 द्वारा धमकी देने पर होना बताया है तथा आदेश दिनांक 29.10.1993 व 25.10.1993 में नामान्तरकरण संख्या 188 दिनांक 16.07.1994 की जानकारी दिनांक 12.12.2018 को यानि 25–26 वर्षो बाद होना बताया गया है। उक्त कारण कतई संतोषजनक नहीं है, क्योंकि अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 17 एक ही पिता रामचन्द्र की संतान है तथा संयुक्त हिन्दु परिवार के सदस्य है। प्रश्नगत आराजी खसरा नम्बर 455 से 459 तक की हाल की एवं साबिक की स्थित कब्जेकाश्त की पूर्ण जानकारी अपीलान्ट को मय रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 17 को प्रारम्भ से रही है। जिसके प्रमाण स्वरूप निम्न सबूत हैः–

1. अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 17 दादा परदादा रेवड पुत्र खूबा के वारिसान एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 18 लगायत 29 शिवनारायण पुत्र झूंथा की संतान है। साबिक खसरा नम्बर 177 रकबा 3 बीघा 9 बिस्वा तन मौजा मुकरपुरा खसरा नम्बर 457, 458, 459 अपीलान्ट के पिता के नाम कब्जे काश्त व हक से गलत खातेदारी में अंकित हो गई व खसरा नम्बर 455, 456 साबिक खसरा नम्बर 176 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा खसरा नम्बर 187 रकबा 4 बीघा 19 बिस्वा कुल किता 6 बीघा 2 बिस्वा अपीलान्ट मय रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 17 की खातेदारी में अशुद्ध हक अधिकारों से प्रारम्भ से ही गलत अंकित हो गई। रेवड पुत्र खूबा व शिवनारायण पुत्र झूंथा नजदीकी भाई थे। जागीर उन्मूलन से पूर्व साबिक खसरा नम्बर 177 पर रेवड व रेवड के पूर्वज जोतागण थे। जोता से विपरीत खातेदारी का अंकन शिवनारायण पुत्र झूंथा के अंकित हो गया। खसरा नम्बर 176, 187 का जोता शिवनारायण पुत्र झूंथा था, परन्तु निराधार रेवड पुत्र खूबा के अशुद्ध अंकित हो गई, परन्तु अशुद्ध अंकन गलत मानते हुये भी आराजी पर हक अनुसार उसी जगह काबिज होकर काश्त करते रहे। लगान भूमि के रकबे के अनुरूप एक दुसरे को देते रहे। सेटलमेन्ट आने के समय पारिवारिक समझौते के तहत मौखिक बंटवारानामा के आधार पर भूमि का सही अंकन दर्ज कराने के लिये प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र दिनांक 28.11.1992 को अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 लगायत 17 की ओर से तैयार कराया गया। इसी कदर खसरा नम्बर 457, 458, 459 की भूमि को अपने कब्जे काश्त हक की बताते हुये नामांकित कराने हेतु प्रार्थना पत्र अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 17 ने पेश किया एवं शपथ पत्र रामनिवास, रामहेत, लक्ष्मीनारायण, हरगोविन्द पुत्रान रामचन्द्र द्वारा हस्ताक्षर कर पेश किया गया। पक्षकारान द्वारा की गई स्वीकारोक्ति से कानूनन एस्टोप्ड है। स्वीकृत एडमिशन उनके विरूद्ध पढी जावेगी।

2. दोनो पक्षो द्वारा दिये गये राजीनामा के मुताबिक सेटलमेन्ट अधिकारी की ओर से दोनो पक्षो की मौजूदगी में दिनांक 7.5.1993 को मौका देखकर रिपोर्ट तैयार की गई जिसमें सेडू, रामहेत, हरगोविन्द, तीजा, लक्ष्मीनारायण, रामनिवास, रामेश्वर, अमरसिंह, गिर्राज, हरदयाल द्वारा हस्ताक्षर किये गये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sumitra Pareek
Date: 2025.01.22 18:09:23 IST
Reason: SelfAttested
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

3. खसरा नम्बर 455, 456 के उत्तर की ओर भूमि खसरा नम्बर रास्ता निकालने का प्रार्थना पत्र सेडू, अमरसिंह, रामहेत, रामेश्वर, हरगोविन्द, रामसुखा, लक्ष्मीनारायण रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 17 द्वारा पेश की। भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 18 लगायत 29 के हक की थी व खातेदारी अंकन अशुद्ध अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 17 के नाम अंकित हुई, तत्पश्चात् आपत्ति का मुआवजा भी इसी कदर अपीलान्ट द्वारा प्राप्त किया गया।

4. खसरा नम्बर 457 से 459 की भूमि सिकन्दरा, अलवर मेगा हाईवे में वर्ष 2006 में अवाप्ति की कार्यवाही की गई। जिसका गजट नोटिफिकेशन एवं उद्घोषणा जारी हुई तथा साथ ही नोटिस वास्ते उजरात जारी होने पर अपीलान्ट द्वारा खसरा नम्बर 457, 458, 459 की भूमि को अपनी खातेदारी में मानते हुये स्वीकार की गई। मुआवजा निर्धारण को सही मानते हुये दो बार मुआवजा राशि खसरा नम्बर 457, 458, 459 राशि 23734/- पर मोती द्वारा हस्ताक्षर करके दिनांक 19.01.2009 को प्राप्त की गई थी। मुआवजा प्राप्ति 2,27,205 खसरा नम्बर 457, 458, 459 वास्ते खसरा नम्बर 455/803, 456/804 की अवाप्ति राशि 25090/- रूपये प्राप्त किये गये। इस प्रकार 2006 में की गई भूमि अवाप्ति व दिनांक 19.01.2009 को मुआवजा प्राप्ति से खसरा नम्बर 457 से 459 अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 17 की खातेदारी में होने व अवाप्ति मुआवजा प्राप्त करने से जानकारी में सिद्ध होता है। अपीलान्ट द्वारा दिनांक 12.12.2018 को जानकारी में होना बताया जबकि प्रारम्भ से वर्ष 1992 से प्रश्नगत भूमि की जानकारी हर प्रकार ही होती रही है। वर्ष 2009 में मुआवजा प्राप्ति रिकॉर्डशुदा से भी अंकन की जावे तो दस वर्ष पूर्व से अपीलान्ट की जानकारी मे बखूबी सिद्ध है।

5. खसरा नम्बर 457, 458, 459 पर कब्जा अपीलान्ट पक्ष का है। अपीलान्ट पक्ष द्वारा कई दुकानात, पुख्ता होटल, बोरिंग, बाग बगीचा आदि लगाकर करीब 10-12 वर्ष से कारोबार किया जा रहा है। अकाल राहत, ओलावृष्टि, के.सी.सी. आदि लेकर खसरा नम्बर 457 से 459 का लाभ उठाया जाता रहा है। जो रेवेन्यू रिकॉर्ड में दर्ज है।

6. आराजी अन्तरण व दावे गिर्राज बनाम अमरसिंह वाद वर्ष 2009 से एस.डी.ओ. कोर्ट में लम्बित है एवं रेस्पोडेन्ट द्वारा अमरसिंह बनाम मोती भी लम्बित है। खसरा नम्बर 457, 458, 459 व अन्य के अपने हक हिस्सों का बेचान विपक्षी रामनिवास द्वारा बहक राजेश्वरी पत्नि पूरणसिंह को दिनांक 30.05.2014 को किया गया है एवं किरमा बनाम हीरालाल का दावा अपीलान्ट के विरूद्ध दिनांक 06.05.2016 से लम्बित है।

इन सब तथ्यों से सिद्ध होता है कि प्रश्नगत आज्ञा की पूर्णतया जानकारी होने के कारण अपील मियाद बाहर जानबूझकर मैलाफाईड पेश की गई है। अतः अपील अपीलान्ट मियाद बाहर एवं मैलाफाईड होने से खारिज फरमाया जावे।

यद्यपि अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 17 बहस के दौरान उपस्थित नहीं हुये किन्तु पत्रावली में उनके द्वारा प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र में अंकितानुसार सहायक भू-प्रबन्ध अधिकारी बसवा मुख्यालय अलवर के दिनांक 29.10.1993 या 25.10.1993 नामान्तरकरण संख्या 188 ग्राम मुकरपुरा तस्दीक दिनांक 16.07.1994 की अपीलान्ट को कतई जानकारी नहीं होने तथा उक्त निर्णय अपीलान्ट को सुनवाई व सबूत का अवसर दिये बिना एवं अपीलान्ट को नोटिस [illegible] पारित किये जाने का तथ्य स्वीकार किया गया है तथा अपीलान्ट [illegible] प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद मंजूर फरमाकर अपील [illegible] मेरिट पर सुनने का अनुरोध किया गया है।

Web Copy - Not Official
Signature Not Verified
Digitally signed by Sumitra Pareek
Date: 2025.01.22 18:09:23 IST
Reason: SelfAttested

उपस्थित अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधिवक्ता अपीलान्ट्स द्वारा सहायक भू–प्रबन्ध अधिकारी बसवा मुख्यालय अलवर के आदेश दिनांक 16.07.1994 जो नामान्तरकरण संख्या 188 ग्राम मुकरपुरा तहसील बसवा पर पारित किया गया है तथा आदेश दिनांक 29.10.1993 या 25.10.1993 जो प्रार्थना पत्र संख्या 946, 948 दिनांक 2.12.1992 पर पारित किया गया है के विरूद्ध अपील दिनांक 21.12.2018 को पेश की गई है। उक्त अपील इतने वर्षो पश्चात प्रस्तुत किये जाने के सम्बन्ध में अधिवक्ता अपीलान्ट्स द्वारा कोई औचित्य पूर्ण तथ्य प्रस्तुत नहीं किये गये है। अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 18 लगायत 29 द्वारा प्रस्तुत बिन्दु संख्या 1–6 में अंकित तथ्यों के अनुसार अपीलान्ट्स को प्रश्नगत भूमि की स्थिति एवं भूमि के सम्बन्ध में सहायक भू–प्रबन्ध अधिकारी द्वारा जारी आदेश दिनांक 29.10.1993 या 25.10.1993 एवं नामान्तरकरण संख्या 188 ग्राम मुकरपुरा तस्दीकी दिनांक 16.07.1994 की जानकारी होने के उपरान्त भी प्रश्नगत आदेशों के विरूद्ध अपील करीबन 25 वर्षो के बाद प्रस्तुत की गई है। अधिवक्ता अपीलान्ट्स द्वारा अपीले इतने विलम्ब से प्रस्तुत किये जाने का कोई उचित कारण भी व्यक्त नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अधिवक्ता अपीलान्ट्स द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम खारिज किये जाते है। प्रार्थना पत्र दफा 5 खारिज होने से इससे सम्बन्धित अपीलों को चलाया जाना उचित नहीं है। अतः अधिवक्ता अपीलान्ट्स द्वारा प्रस्तुत अपीले भी खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख भिजवाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम हो एवं प्रविष्ठ अभिलेखागार की जावे। निर्णय आज दिनांक 21.10.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुमित्रा पारीक)
अति. जिला कलक्टर,दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified

Digitally signed by Sumitra Pareek
Date: 2025.01.22 18:09:23 IST
Reason: SelfAttested